

04/12/19

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील अनु.। न्यायालय समय में वादी वकील को रूक रूक कर तीन बार आवाज लगाई। लेकिन वादी या उसके वकील की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से कम हो।


सहायक कलक्टर
घोहटन

